

**राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर**

1. अपील संख्या 623/2016/अलवर  
3. अपील संख्या 625/2016/अलवर

2. अपील संख्या 624/2016/अलवर

मैसर्स गर्ग मिनकेम प्रोडक्ट्स,  
एम.आई.ए., अलवर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त,  
प्रतिकरापवंचन, अलवर।

.....प्रत्यर्थी

4. अपील संख्या 2114/2016/अलवर  
6. अपील संख्या 2116/2016/अलवर

5. अपील संख्या 2115/2016/अलवर

मैसर्स गर्ग मिनकेम प्रोडक्ट्स,  
एम.आई.ए., अलवर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त,  
प्रतिकरापवंचन, अलवर

.....प्रत्यर्थी

**एकलपीठ**

**श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य**

**उपस्थित :**

श्री ओ.पी.गुप्ता,  
अभिभाषक।  
श्री रामकरण सिंह,  
उपराजकीय अभिभाषक।

.....व्यवहारी फर्म की ओर से.

.....राजस्व विभाग की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 13.12.2017**

**निर्णय**

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा निम्न तालिकानुसार पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26, 25, 55 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये सृजित मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने/अस्वीकार किये जाने को विवादित किया है।

क्र.सं.	कर बोर्ड की अपील संख्या	अपीलीय आदेश सं. एवं दिनांक	क.नि.आ. दिनांक	क.नि.वर्ष	आरोपित (राशि ' में)	
					कर	ब्याज
1.	623/2016	204/05.02.14	07.12.12	2009-10	48,962	16,158
2.	624/2016	205/05.02.14	07.12.12	2010-11	2,51,595	62,880
3.	625/2016	206/05.02.14	07.12.12	2011-12	2,68,010	37,060
4.	2114/2016	04/02.06.14	07.12.12	2009-10	48,962	16,158
5.	2115/2016	05/02.06.14	07.12.12	2010-11	2,51,595	62,880
6.	2116/2016	06/02.06.14	07.12.12	2012-13	2,68,010	37,060

2. उपरोक्त समस्त प्रकरणों के तथ्य समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जावें।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रथम तीन अपीलों क्रमशः 623/2016, 624/2016 एवं 625/2016 में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे "जांच अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 23.03.2012 को अपीलार्थी व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया। जांच में

लगातार.....2

पाया कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा मार्बल पाउडर, डोलोमाईट पाउडर एवं केल्साईट पाउडर का विनिर्माण कर राज्य के बाहर विक्रय किया जाकर राज्य सरकार की अधिसूचना का लाभ लेते हुए रियायती कर दर 0.25 प्रतिशत से कर चुकाया जा रहा है। जांच अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवसायी को उक्त अधिसूचना का पात्र नहीं मानकर आलौच्य अवधियों में की गई 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री को 2 प्रतिशत कर योग्य मानकर अन्तर कर का अपवंचन करने का दोषी मानते हुए अभियोग बनाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन कर अपीलार्थी व्यवसायी को अधिनियम की धारा 26, 25 एवं 55 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी की ओर से उनके प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश किया, जिससे असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी पर कर एवं ब्याज का आरोपण कर दिया। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2014 द्वारा कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रथम तीन अपीलों 623/2016, 624/2016 एवं 625/2016 प्रस्तुत की गई है।

4. अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 05.02.2014 में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा इन संशोधन प्रार्थना पत्रों को भी अस्वीकार किया गया, जिनके विरुद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अधिनियम की धारा 83 के तहत द्वितीय तीन अपीलों क्रमशः 2114/2016, 2115/2016 एवं 2116/2016 प्रस्तुत की गई है।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वित्त विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.2008) में दिनांक 14.02.2008 के पश्चात प्लांट एण्ड मशीनरी क्रय कर उद्योग स्थापित करने एवं Micro & small Enterprise का दर्जा प्राप्त औद्योगिक इकाईयों को 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर रियायती कर दर 0.25 प्रतिशत का लाभ प्राप्त देय होगा तथा Micro & Small Enterprise के वर्गीकरण का अधिकार MSMED विभाग को है, जिसके द्वारा समय-समय पर अधिसूचना एवं स्पष्टीकरण जारी किये गये हैं जिसके आधार पर सभी प्रकार की सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की इकाईयों को राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना का लाभ प्राप्त होगा। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ के न्यायिक दृष्टांत TUD 43 P-29 मैसर्स हिन्द ट्रेडर्स, अलवर बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दिनांक 17.09.2015 को उद्धरित किया है। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने केवल प्रथम अनुसूची में अंकित उद्योगों को ही इस अधिसूचना का लाभ देय होना मानते हुए रियायती कर दर 0.25 प्रतिशत का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र इकाई नहीं माना है। विद्वान अभिभाषक का कथन

लगातार.....3

कि है कि अपीलार्थी द्वारा मिनरल पाउडर का विनिर्माण किया जाता है तथा अपीलार्थी MSMED Act, 2006 के अन्तर्गत लघु ईकाई के लिये पंजीकृत व्यवहारी है।

7. विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि दिनांक 16.01.2009 की अधिसूचना के पश्चात सभी प्रकार के उद्योगों को चाहे वे अनुसूची प्रथम में अंकित उद्योग की सूची में नहीं हो, को भी अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 के अन्तर्गत रियायती कर दर की छूट का पात्र माना गया किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने इसे नहीं मानकर विधिक त्रुटि की है। अपने इन कथनों के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय को निरस्त करने को अनुरोध किया गया।

8. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश को समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के प्रकरण में विधि के प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक भूल प्रकट नहीं होती है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपने इन कथनों के साथ अपीलार्थी द्वारा समस्त अपीलें अस्वीकार करते हुए अपीलीय आदेशों को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

9. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया तथा उद्धरित किये गये निर्णय का ससम्मान अध्ययन किया गया।

10. इन प्रकरणों में विवादित बिन्दू यह है कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उत्पादित वस्तु मार्बल पाउडर, डोलोमाइट पाउडर एवं केलसाईट पाउडर पर MSMED Act, 2006 में दिनांक 16.01.2009 को किये गये संशोधन के पश्चात क्या सभी प्रकार के उद्योगों को अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 की छूट प्राप्त होगी?

11. सर्वप्रथम यहां पर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F.12(99)FD/Tax/07-66 दिनांक 14.02.2008 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.2008) एवं Micro, Small & Medieum Entermprises Development Act, 2006 की धारा 7(1)(i)(a)(b)(c) एवं amendment in MSMED Act, 2006 on dated 16.01.2009 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जो इस प्रकार है:-

**(I) अधिसूचना क्रमांक F.12(99)FD/Tax/07-66 दिनांक 14.02.2008:-**

“In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), the State Government being of the opinion that it is expedient in the Public interest so to do, hereby directs that tax payable under the said Act by a registered dealer during the period he enjoys status of Micro and small enterprise (but not being a mediun enterprise) as defined in the Micro, small and medium Enterprises Development Act, 2006 (Act no. 27 of 2006), in respect of the sale of goods manufactured by him from his place of business in the State, in the course of interstate trade of commerce shall be calculated at the rate of 0.25%”.

**(II) अधिसूचना F.12(99)FD/Tax/07-71 दिनांक 21.02.2008:-**

“In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), the State Government being of the opinion that it is expedient in the Public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification No. F 12 (99) FD/Tax/ 07-66 dated 14.02.2008, namely :-

**Amendment**

In the said notification, the existing expression "registered dealer" shall be substituted

लगातार.....4

by the expression "registered dealer who commences purchase of plant and machinery on or after 14.02.2008 for setting up of enterprises,"

(iii) Ministry of Small Scale industries Notification New Delhi 29th September, 2006:-

S.O. 1642 (E) :- The Central Government, in exercise of the power conferred by sub-section 7 of the Micro, Small and medium Enterprises Development Act, 2006, after having obtained the recommendation of the Advisory Committee under sub-section (4) of section 7 of the Act, in this regard hereby notify the following enterprises, whether proprietorship, Hindu undivided family, association of persons, co-operative society, partnership of undertaking or any other legal entity, by whatever name called:

(i) In the case of enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, as-

(a) a micro enterprise, where the investment in plant and machinery does not exceed twenty five lakh rupees;

(b) a small enterprise, where the investment in plant and machinery is more than twenty five lakh rupees but does not exceed five crore rupees; or

(c) a medium enterprise, where the investment in plant and machinery is more than five crore rupees but does not exceed ten crore rupees.

(IV) Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006 में दिनांक 16.01.2009 को किया गया संशोधन निम्न प्रकार है:-

(फा.सं. 2(10)/2006-एमएसएमई नीति)

S.No. 199(E). - In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government, after obtaining the recommendation of the Advisory Committee sub-section (4) of section 7 of the Act, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, number S.O. 1642, dated 29 September 2006 namely:-

In the said notification for the portion being with the brackets, letter and words" (i) in the case of the enterprises" and ending with words, brackets and figures "the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. As-"The following shall be substituted namely."

"(i) in case of the enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the First Schedule of Industries (Development and Regulation) Act, 1951 or employing plant and machinery in the process of value addition to the final product having a distinct name or character or use, as." [F.No.2(10)/2006-MSME Policy]

12. अतः राज्य सरकार द्वारा MSME के लिए केन्द्रीय विक्रय कर के संबंध में रियायत देने हेतु जारी उक्त अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.2008), MSMED Act, 2006 एवं 16.01.2009 को MSMED Act, 2006 में किये गये संशोधन एवं Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम को अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार द्वारा MSMED Act, 2006 में परिभाषित Micro & Small Enterprises द्वारा उत्पादित माल में अन्तर्राज्यीय संव्यवहार पर देय केन्द्रीय विक्रय कर में रियायत हेतु अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 जारी की गयी एवं उसमें सुधार करते हुए दिनांक 21.02.2008 को संशोधित अधिसूचना जारी की गयी।

13. उपर्युक्त अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों एवं अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा दिये गये दृष्टांत माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ के न्यायिक दृष्टांत TUD 43 P-29 मैसर्स हिन्द ट्रेडर्स, अलवर बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दिनांक 17.09.2015 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि एक पंजीकृत व्यवसायी जो कि MSMED Act, 2006 में परिभाषित Micro & Small enterprises का दर्जा प्राप्त है एवं साथ ही उसके द्वारा स्थापना हेतु दिनांक 14.02.2008 के पश्चात प्लांट एण्ड मशीनरी का क्रय कर स्थापित किया जावे, तब उसके द्वारा उत्पादित माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री 'सी' फार्म के समर्थन में करने पर केन्द्रीय बिक्री पर रियायती कर दर 0.25 प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.2008) में कर छूट देय होने के लिए महत्वपूर्ण शर्त है कि ऐसे उद्यम जो कि MSMED Act, 2006 में परिभाषित Micro & Small Enterprises होने की पात्रता रखते हो। इसके लिए MSMED Act, 2006 कि धारा 7(1)(i) के क्लॉज (a) एवं (b) में दी गयी परिभाषा का अवलोकन करना आवश्यक है जिसके अनुसार Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की अधिसूची प्रथम में वर्णित उद्योगों से संबंधित वस्तुओं के उत्पादन एवं विनिर्माण में संलग्न उद्यम, जिनमें प्लांट एवं मशीनरी में विनिवेश 25 लाख से कम हो, सूक्ष्म (Micro) तथा जिनमें 25 लाख से अधिक किन्तु पांच करोड़ से कम का विनिवेश हो, को लघु (Small) ईकाई मानी जावेगी। इस प्रकार किसी उपक्रम (उद्यम) के MSMED Act, 2006 के अन्तर्गत होने के लिए उसमें प्लांट एण्ड मशीनरी में निवेश होने एवं Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में वर्णित उद्योग संबंधी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न होने संबंधी दोनों शर्तों की पालना करना आवश्यक है। इसी प्रकार MSMED Act, 2006 के केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 16.01.2009 को संशोधन करते हुए MSME की परिभाषा में विस्तार किया गया है जिसके अनुसार Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में वर्णित किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तु के विनिर्माण एवं उत्पादन में लगे हुए उद्यम अथवा भिन्न नाम, प्रयोग एवं लक्षण रखने वाले अन्तिम उत्पाद के मूल्यवर्धन की प्रक्रिया (Process) में प्लांट एण्ड मशीनरी का नियोजन करने वाले उद्यम को भी MSME की श्रेणी में माना गया है।

14. इस आधार पर अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उत्पादित वस्तु मार्बल पाउडर, डोलोमाईट पाउडर एवं केल्साईट पाउडर के विनिर्माण एवं उत्पादन में संलग्न होने के आधार पर उद्योग विभाग, अलवर से उसे Micro Enterprises के रूप में पंजीकृत किया गया है। दिनांक 16.01.2009 को केन्द्र सरकार द्वारा MSMED Act, 2006 में संशोधन करने के पश्चात् Industries (Development and Regulation) Act, 2006 की अनुसूची प्रथम में अंकित उद्योगों के अतिरिक्त अन्य उद्योगों को भी MSME में सम्मिलित कर लिये जाने से ऐसे उपक्रमों को भी राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.2008) के अन्तर्गत 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर रियायती कर दर 0.25 प्रतिशत का लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।

15. विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 05.02.2014 द्वारा अपीलार्थी

लगातार.....6

व्यवसायी को अधिसूचना दिनांक 16.01.2009 के अनुसार पात्र नहीं माना है। जबकि जांच अधिकारी की जांच एवं सर्वेक्षण फर्द के अनुसार अपीलार्थी व्यवसायी की इकाई 25.08.2009 से प्रभावी थी एवं उसका पंजीयन दिनांक 03.09.2009 को जारी किया गया था। इससे यह स्पष्ट है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर विवेचन नहीं करते हुये मात्र अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.2008) को आधार मानकर जो आदेश पारित किया है वह विधिनुसार उचित नहीं है। उक्त न्यायिक दृष्टांत माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ के न्यायिक दृष्टांत TUD 43 P-29 मैसर्स हिन्द ट्रेडर्स, अलवर बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दिनांक 17.09.2015 हस्तगत प्रकरणों में पूर्णतया लागू होते हैं, अतः माननीय खण्डपीठ के उक्त न्यायिक निर्णय के आलोक में समस्त प्रकरण स्वीकार किये जाते हैं।

16. उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत उक्त सभी प्रकरणों को स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)  
सदस्य